प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 6754/2016

विनोद सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधि के द्वारा---

1. श्रीमती. माया बघेल पति स्वर्गीय श्री विनोद सिंह बघेल, आयु लगभग 30 वर्ष।

2. कु. वर्शा पिता स्वर्गीय श्री विनोद सिंह बघेल,15 वर्ष

3. अभिषेक पिता स्वर्गीय विनोद सिंह बघेल, 12 वर्ष

4. विकास पिता स्वर्गीय श्री विनोद सिंह बघेल, 10 वर्ष।

क्रमांक 2 से 4 (नाबालिग)प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती माया बघेल के द्वारा

ये समस्त सुभम विहार, रायपुरा, थाना देवेंद्र नगर, नागरिक तथा राजस्व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी है

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव गृह विभाग के द्वारा , महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शस्त्र बल-1, पुलिस मुख्यालय रायपुर, जिलारायपुर छत्तीसगढ़ पिन 4949001।

3. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

4. पुलिस अधीक्षक सेनानी, तीसरी बटालियन छत्तीसगढ़ शस्त्र बल अंबलेश्वर दुर्ग, जिला।जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5. कंपनी कमांडर, तीसरी बटालियन छत्तीसगढ़ शस्त्र बल अंबलेश्वर दुर्ग जांच अधिकारी, जिलाजिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण हेतु :--श्री पी. के. गोस्वामी तथा श्री जितेंद्र गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :--श्री शरद मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ.–माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

09.07 2025

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित दिनांक 06/02/2016 (अनुलग्नक पी–1) के आदेश को चुनौती देने की मांग की है, जिसके तहत उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 23/05/2015 (अनुलग्नक पी–2) के आदेश की पुष्टि की गई है, जिससे मूल याचिकाकर्ता को सेवा से समाप्त करने वाले उत्तरवादी सं 4 द्वारा पारित दिनांक 24/01/2015 (अनुलग्नक पी–3) के आदेश की पुनः पुष्टि होती है।

2. याचिकाकर्ता कांस्टेबल (जीडी) के रूप में काम कर रहा था और 23/08/2014 को (अनुलग्नक पी/4), उसे आरोप पत्र दिया गया तथा उसके विरुद्ध निम्नलिखित दो आरोप लगाए गए:–––

आरोप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

–1 – रात्रि गणना में शराब सेवन कर उपस्थित होना । अपशब्दों का प्रयोग करना | अभद्रता के साथ शोर शराबा कर अशोभनीय आचरण प्रदर्शित करना | म.प्र. / छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम –23 (ख) एवं 3(3) के प्रतिकूल कृत्या करना ।

2 – पूर्व में भी शराब सेवन किए जाने पर 01 बड़ी सजा एवं 01 छोटी सजा, ड्यूटी के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर 01 बड़ी सजा, कत्तर्व्य से/अवकाश से अनुपस्थित रहने के कसूर में 06 छोटी सजाओं से दण्डित किया जाकर सेवा का अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद भी आचरण में सुधर न लाया जाकर सेवा के अनुपयुक्त पाया जाना |

3. उपरोक्त आरोप याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच अधिकारी अर्थात उत्तरवादी संख्या 5 द्वारा सिद्ध पाए गए, जिसे उत्तरवादी संख्या 4 अर्थात अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया और पाया गया कि 06/08/2014 को, जब वह सेवा पर था, वह नशे की हालत में था और उसने अनुशासनहीनता प्रदर्शित की जो एक बड़ा कदाचार है और जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अनुचित है और इसके अलावा, उसे पहले ही 7 छोटे दंड और 1 बड़ा दंड दिया जा चुका है, इसके बावजूद उसमें सुधार नहीं हुआ है जो दर्शाता है कि वह एक आदतन अपराधी है, 24/01/2015 को उसकी सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया गया (अनुलग्नक पी–3)।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पर ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में रहने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था, जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अनुचित है। हालाँकि, यह पता लगाने के लिए कोई मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया था कि क्या वह नशे की हालत में था और केवल मौखिक परीक्षा के आधार पर, यह माना गया है कि वह नशे में था, जो पूरी

तरह से अस्थिर और विधि की दृष्टि में गलत है।इसके अलावा, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को पहले ही 7 छोटे दंड और 1 बड़े दंड दी जा चुकी है, विभाग के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का विषय नहीं हो सकता है, इसलिए, इस रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और आदेश को अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद मिश्रा ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है और कहा कि याचिकाकर्ता नशे की हालत में पाया गया था और उसने अभद्र आचरण भी किया जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 23(बी) और 3(3) के अनुसार एक पुलिस अधिकारी के लिए अनुचित है और वह एक आदतन अपराधी है क्योंकि उस पर पहले ही 7 लघु दंड और 1 बड़ा दंड लगाया जा चुका है, इसलिए उसे सेवा से बर्खास्त करना उचित है और यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का अध्ययन किया है।

7. याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाया गया पहला आरोप यह है कि 06/08/2014 की रात को वह नशे की हालत में ड्यूटी पर आया और वहां अन्य अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और ऐसा आचरण प्रदर्शित किया जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अनुचित है, हालांकि, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता नशे की हालत में था, कोई मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया था और गवाहों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह माना गया कि याचिकाकर्ता नशे में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बच्चूभाई हसनल्ली कार्यानी बनाम महाराष्ट्र राज्य** 1 के मामले में दिए गए निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जब तक मूत्र परीक्षण या रक्त परीक्षण नहीं किया जाता है, तब तक नशे की हालत को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं कहा जा सकता है और मूत्र परीक्षण या रक्त परीक्षण के अभाव में, यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि घटना के समय अभियुक्त नशे की हालत में था।

9. इसी प्रकार, मुन्ना लाल बनाम भारत संघ और अन्य 2 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय एक पुलिस उपनिरीक्षक के विरुद्ध आरोप पर विचार कर रहा था, जो कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाया गया था और उनके माननीय न्यायाधीशों ने कंडिका संख्या 4 और 5 में निम्नलिखित निर्णय दिया था:

"4.उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता को पहले भी कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया था और उसके आचरण के विरुद्ध अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ भी चल रही थीं।परन्तु वर्तमान मामले में यह सिद्ध नहीं हुआ है कि अपीलकर्ता उस दिन नशे में था जिस दिन वह ड्यूटी पर था।यह साबित करने के लिए साक्ष्य संतोषजनक नहीं थे कि उसके पास कोई शराब पाई गई थी और उसे सफदरजंग अस्पताल भी नहीं ले जाया गया था जैसा कि प्रथम चिकित्सक ने सुझाया था।

5. सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाया गया आरोप संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं हुआ था।पर्याप्त प्रमाण के अभाव में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को ऐसा दंड नहीं लगाना चाहिए था।अतः , लगाया गया दंड अवैध था और अपीलकर्ता सेवा में पुनः बहाल किए जाने का हकदार है और वह सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए बकाया वेतन का 50% पाने का हकदार है। उत्तरवादी को अपीलकर्ता को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता की सेवा को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पेंशन जैसे अन्य सेवा लाभों के लिए माना जाएगा।"(जोर दिया गया)

10. इसके अलावा, **कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नरेंद्र दत्ता राय बनाम भारत संघ 3 के मामले में बच्चूभाई हसनल्ली कार्यानी (सुप्रा) और मुन्ना लाल(सुप्रा) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के** विद्वान न्यायाधीशो द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों पर भरोसा किया है और कंडिका 49 और 51 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:--

"49. किसी कर्मचारी पर बड़ा दंड लगाने से पहले, प्रतिवादी प्राधिकारियों को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण करवाना चाहिए था ताकि यह निश्चित रूप से पता चल सके कि कर्मचारी शराब के नशे में था जिसके परिणामस्वरूप उसने ऐसा दुर्व्यवहार किया था।उत्तरवादीगण को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि कर्मचारी की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वह अपनी बुद्धि की स्पष्टता और स्वयं पर नियंत्रण खो बैठा था जो अन्यथा उसके पास होता और उक्त व्यवहार शराब के नशे में था।किसी भी पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में किसी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाना चाहिए।

51. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपराध सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के विरुद्ध मामला सिद्ध करना प्रतिवादी प्राधिकारियों का दायित्व था, न कि इसके विपरीत।अपीलकर्ता के विरुद्ध किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में, उत्तरवादीगण द्वारा उसके विरुद्ध मामला सिद्ध नहीं किया जा सकता था।इसके अतिरिक्त, आरोप II में दिया गया यह स्पष्ट कथन कि अस्पताल के उपस्थित चिकित्सक ने अपीलकर्ता की नशे की हालत की पुष्टि की थी, बिल्कुल झूठा है। यह अपीलकर्ता के विरुद्ध जाँच करने वाले अनुशासनात्मक प्राधिकारी की पूर्वनिर्धारित और पक्षपातपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है।"(जोर दिया गया)

11. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह सुस्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के नशे में होने की बात पंचनामा के आधार पर साबित करने की कोशिश की गई है, जो साक्षी गोविंद सिंह की मौखिक कथन पर आधारित है, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को नशे के तथ्य को स्थापित करने के लिए मेडिकल परीक्षण कराने के लिए नहीं कहा।इस प्रकार, **बच्चूभाई हसनल्ली कार्यानी (सुप्रा) और मुन्ना लाल (सुप्रा)** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों और **नरेंद्र दत्ता राय (सुप्रा)** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रकाश में,ड्यूटी के दौरान नशे में होने के तथ्य को साबित करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने का सही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तरीका नहीं होगी।याचिकाकर्ता द्वारा कोई मेडिकल परीक्षण न कराए जाने के कारण अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उसके विरुद्ध पहला आरोप सिद्ध करने में गलती की है।

12. याचिकाकर्ता के विरुद्ध दूसरा आरोप यह है कि उसे 7 लघु दण्ड और 1 वृहद दण्ड दिया गया है और फिर भी उसने अपने आचरण में सुधार नहीं किया है। तथापि, याचिकाकर्ता का यह मामला है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त करने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए इसे विषय वस्तु के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

13. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं अन्य बनाम अबरार अली 4 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी स्थिति में, दंड लगाते समय किसी दोषी कर्मचारी के पिछले आचरण को ध्यान में रखा जा सकता है। निर्णय के कंडिका 17 में निम्नलिखित कहा गया है:---

"17. आरोप 3 यह था कि उत्तरवादी अनुशासनहीनता और अव्यवस्था करने का आदी हो गया था। वेतन में कटौती के दो बड़े दंडों और सात दिन के वेतन में कटौती के एक छोटे दंड का उल्लेख पहले ही किया गया था।अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पाया कि पहले दंडित किए जाने के बावजूद उत्तरवादी में कोई सुधार नहीं हुआ।उच्च न्यायालय ने उत्तरवादी के तर्क से सहमति व्यक्त की और यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे कदाचार की नई जाँच शुरू नहीं की जा सकती है जिसके लिए अपराधी को पहले ही दंड मिल चुका है।उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोप 3 के तहत लगाया गया कोई भी दंड दोहरा संकट होगा। हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से असहमत हैं क्योंकि हमारा मानना है कि उत्तरवादी को पहले दंडित किए जाने के बावजूद उसमें कोई सुधार नहीं आया और वह अनुशासनहीनता और अव्यवस्था का आदी हो गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आरोप 3 को सही रूप से सिद्ध पाया।उत्तरवादी के पद पर बने रहने की वांछनीयता पर उसके पिछले आचरण के आधार पर विचार किया गया, जो दोहरा संकट नहीं है।किसी भी स्थिति में, दंड लगाते समय किसी अपराधी कर्मचारी के पिछले आचरण को ध्यान में रखा जा सकता है।इस दृष्टिकोण का समर्थन इस न्यायालय के भारत संघ बनाम बिशम्बर दास डोगरा 5 के निर्णय से होता है, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :(एस. सी. सी. पी. 111, कंडिका 30)

"30. ....परंतय गंभीर प्रकृति के कदाचार या अनुशासनहीनता के मामले में, वैधानिक नियमों के अभाव में भी, यदि मामले के तथ्यों की आवश्यकता हो तो प्राधिकारी दंड लगाने के निर्णय में महत्व जोड़ने के लिए कर्मचारी के निर्विवाद पिछले आचरण/सेवा अभिलेख को ध्यान में रख सकता है।"

14. इसी प्रकार, **मोहम्मद यूनुस खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 6 के मामले में,** सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी दंड देने के निर्णय में महत्व जोड़ने के लिए दोषी कर्मचारी के सेवा अभिलेख पर विचार कर सकता है, यदि मामले के तथ्य ऐसा अपेक्षित हों और कंडिका 34 और 35 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया हो:---

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"34. विचारण न्यायालय और वैधानिक प्राधिकारी यह समझने में विफल रहे कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी दंड देते समय कर्मचारी के पिछले आचरण पर विचार करना चाहता है, तो अपराधी को इसकी सूचना पाने का अधिकार है और सामान्यतः आरोप–पत्र में ऐसा कोई अनुच्छेद होना चाहिए या कम से कम दंड देने से पहले कारण बताओ नोटिस के चरण में ही उसे इसकी सूचना दे दी जानी चाहिए।35. इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम बिशम्बर दास डोगरा (सुप्रा) मामले में असम राज्य बनाम बिमल कुमार पंडित 7, इंडिया मरीन सर्विस (प्रा.) लिमिटेड बनामवर्कमेन 8, मैसूर राज्य बनाम के. मंचे गौड़ा 9, कलर–केम लिमिटेड बनाम ए.एल. अलासपुरकर 10, डीजी, आरपीएफ बनाम साई बाबू 11, भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड बनामउत्तम मनोहर नाकाटे 12 और आंध्र प्रदेश सरकार बनाम मोहम्मद ताहिर अली 13 में इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह वांछनीय है कि दंड देते समय आचरण को ध्यान में रखा जा सकता है।हालाँकि, गंभीर प्रकृति के कदाचार के मामले में, वैधानिक नियमों के अभाव में भी, प्राधिकारी अपराधी के निर्विवाद पिछले आचरण/सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रख सकता है ताकि "यदि मामले के तथ्य की आवश्यकता हो तो दंड लगाने के निर्णय को बल दिया जा सके।"

15. उपर्युक्त विधिक विश्लेषण के तहत, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के प्रश्न पर विचार करते समय याचिकाकर्ता के पिछले कदाचार पर विचार करना सही है और इस प्रकार, यह माना जाता है कि उसके खिलाफ दूसरा आरोप सिद्ध होता है।तथापि, चूंकि पहला आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है, जबकि दूसरा आरोप सिद्ध पाया गया है, इसलिए दिनांक 06/02/2016 (अनुलग्नक पी–1), 23/05/2015 (अनुलग्नक पी–2) और 24/01/2015 (अनुलग्नक पी–3) के आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं और मामला अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात उत्तरवादी संख्या 4 को भेजा जाता है ताकि वह याचिकाकर्ता को दी गई सजा और/या सेवा से बर्खास्तगी के अलावा सजा की मात्रा के प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सके, जिसका निर्णय इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 2 महीने के भीतर कानून के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करके किया जाएगा। पारित आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता के विधिक प्रतिनिधि मूल सरकारी कर्मचारी/याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया/सेवा लाभों के वितरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने के हकदार होंगे।

16. तदनुसार, इस रिट याचिका को ऊपर बताए गए विस्तार तक कि स्वीकृति दि जाती है।इस पर कोई वाद व्यय देय आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur